झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
कार्यालय आदेश

आदेश सं0: 149/SC रांची/दिनांकः 07/11/09.

राज्य के कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न जिलों एवं प्रमण्डलीय कार्यालयों के कार्यो में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से ऐसा स्पष्ट होता है कि अग्रिम राशि लेकर उनका समायोजन नहीं किया जाता है तथा बेरोक टोक ए0सी0 बील से निकासी की जाती है तथा डी0सी0 बील नहीं भेजा जाता है। कर्मियों को सेवा निवृति लाभ, अनुकम्पा का मामला, छठे वेतन आयोग आदि का लाभ, वेतन सत्यापन, ए0सी0पी0, कालबद्व प्रोन्नति सत्यापन, इंक्रीमेंट आदि का भुगतान ससमय नहीं किया जाता है तथा कही – कही पर गलत तरीके से एच0आर0ए0 एवं टी0ए0 भी प्राप्त किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त जिला एवं प्रमण्डल को उपलब्ध कराई गई राशि के विरुद्व योजनाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। योजनाओं का सत्यापन, भौतिक स्थिति, अभिलेखों का संधारण एवं व्यय प्रायः नहीं किया जाता है तथा कही – कही पर गलत व्यय की सूचना प्राप्त हुई है। कृषि विभाग के ही अन्दर संचालित विभिन्न योजनाओं से integration का पूर्ण अभाव है। जबकि बार – बार इसपर निर्देश दिया जाता रहा है। इसका मुख्य कारण पदाधिकारियों के बीच ego problem कार्य हित एवं राज्य हित से बड़ा है। संभवतः कही – कही स्व – हित, कार्यो में पारदर्शिता का अभाव तथा कार्य प्रणाली भी इसके लिए दोषी है। कई ऐसे मामले प्रकाश में आए है कि पदाधिकारी ने कैश बुक का संधारण नहीं किया है, नियमित मासिक मिलान एवं self check से राशि का निकासी कर इसका दुरुपयोग भी किया गया है।

उक्त के कम में इसकी समीक्षा हेतु निम्नप्रकार पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित जिलों में विभिन्न पहलुओं की जांच एवं समीक्षा हेतु प्रतिनियुक्त किया जा रहा है :

कमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित जिला
1	श्रीमति कंचन अंजली मुण्डू, अवर सचिव/श्री जटाशंकर चौधरी, उप कृषि निदेशक (सा0) संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय, रांची	रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा
2	श्री अविनाश कुमार सिंह, अवर सचिव/श्री ब्रजेश्वर दूबे, उप कृषि निदेशक (सा0) कृषि निदेशालय, झारखण्ड, रांची	पलामू, गढ़वा एवं लातेहार

Dictation

3	श्रीमति प्रभा कुमारी गुप्ता, उप सचिव/श्री आर0 पी0 सिंह, निदेशक, भूमि संरक्षण, रांची	संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर एवं सरायकेला-खरसांवा
4	श्री दीपक सिंह, विशेष सचिव/श्री जे0 पी0 तिवारी, सहायक निदेशक (सर्वे,) भूमि संरक्षण, रांची	संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरीडीह,
5	श्री गोकुल मेहरा, कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/श्री राजेन्द्र किशोर, उप निदेशक उद्यान, रांची	संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय, दुमका, देवधर, दुमका एवं जामताड़ा
6	श्री हेरमन मिंज, उप कृषि निदेशक (यो0) कृषि निदेशालय, झारखण्ड, रांची/श्री एस0 एम0 एस0 महालिंगमशिवा, सहायक कृषि निदेशक, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, रांची	पाकुड़, गोड्डा एवं साहेबगंज

उक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी निम्न कार्य करेंगे :

1. कृषि विभाग के अधीन संबंधित जिलों एवं प्रमण्डलीय क्षेत्र में पड़ने वाले ऐसे सभी कार्यालय जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति रखते हो उन कार्यालयों का सत्यापन का व्यौरा नीचे अंकित किया जा रहा है :

क. कैश बुक verification/मासिक reconciliation/bank account of DAO/DHO/DSCO/JPPO/ATMA etc.

ख. ए0सी0/डी0सी0 बिल की स्थिति/प्रगति

ग. अंकेक्षण (महालेखाकार)/वित्त अनुपालन की स्थिति

घ. कर्मियों के सेवापुस्त सत्यापन की स्थिति

ड. सेवा निवृति/मृत कर्मी के दावों के भुगतान/निस्पादन की स्थिति

च. स्थापना संबंधित अन्य बिन्दु यथा HRA/transport allowance/increment/ACP सम्पुष्टि इत्यादि

छ. विभागीय योजनाओं की स्थिति : (केन्द्र प्रायोजित/राज्य)

i) वर्षवार आवंटन/व्यय/समायोजन - योजनावार

ii) अभिलेख संधारण

iii) योजना पंजी संधारण

iv) लाभुक सूची

v) भौतिक स्थिति का random सत्यापन

Dictation

vi) आत्मा - GB/AMC की बैठक, BTT/FIAC/FIG का गठन, SREP तैयार करने की स्थिति

ज. रबी कम्पेन 2009 की समीक्षा एवं integration with watershed/NHM/NFSM एवं अन्य विभागीय कार्यक्रम

त्र. विभागीय कार्यक्रम में जिला प्रशासन की भागीदारी तथा NREGA तथा अन्य प्रोग्राम से integration

त. अन्य बिन्दु Crop cutting (2 स्वतः कराये)/Total Seed treatment campaign/पंचायतवार वितरण/योजना की स्थिति

2. संबंधित पदाधिकारी यह प्रयास करें कि 15 दिसम्बर तक एक बार संबंधित आंवटित जिला कार्य क्षेत्र के सभी जिला एवं प्रमण्डलीय क्षेत्रों का सधन निरीक्षण कर लें।

3. प्रयास किया जाए कि प्रत्येक सप्ताह में एक - एक जिलें का निस्पादन अवश्य कर लिया जाए एवं प्रत्येक जिला से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दिया जाए।

4. यह कार्य 16 नवम्बर से प्रारंभ किया जाए। पहला प्राथमिकता उन जगहों पर दी जाए जहां तत्काल चुनाव नही है एवं वैसे जिला को कभर किया जाए जहां प्रथम चरण में चुनाव न हो ताकि कर्मियों को कोई असुविधा न हो।

5. संबंधित क्षेत्र के उन जिलों का भ्रमण प्रथम चरण में किया जा सकता है जहां के संबंधित कार्यालय पर प्रथम चरण के चुनाव का प्रभाव न हो।

6. योजनाओं के संबंध में भौतिक सत्यापन, अभिलेखों का सत्यापन के साथ करना आवश्यक है।

7. प्रत्येक सोमवार यथा दिनांक 23.11.09, 30.11.09, 07.12.09, 14.12.09 एवं 21.12.09 को कार्यो की प्रति एवं प्रतिवेदन की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में की जायेगी।

8. उक्त हेतु विभिन्न formet तथा किन बिन्दुओं की जांच की जानी है इसके लिए समेति सभा कक्ष में 2.00 बजे अप0 से निर्धारित है। सभी पदाधिकारी इसमें भाग लें।

Dictation

9. विभिन्न योजनाओं के निदेशक एवं राज्य नोडल पदाधिकारी उनके द्वारा संचालित योजनाए, लक्ष्य, formet आदि की जानकारी सभी को तैयार करके देंगे ताकि उस पर विमर्श कर उसमें यदि कोई सुधार आवश्यक हो तो कर लिया जाए।

10. विशेष सचिव मुख्यालय स्तर पर इस मोनिटरिंग के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे तथा सभी जिला से प्राप्त प्रतिवेदन की अलग – अलग समीक्षा एवं मोनिटरिंग की जायेगी।

11. भविष्य में जनवरी माह में नियमित रूप से माह में कम से कम दो जिला में संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से भ्रमण करेंगे तथा उन कार्यो पर नजर रखेंगे एवं सत्यापन करेंगे तथा प्रत्येक प्रतिवेदन की भी समीक्षा करेंगे।

Ap 07/11/09

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 149/SC रांची/दिनांक : 07/11/09

प्रतिलिपि : जांच समिति के संबंधित सभी पदाधिकारी/निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, झारखण्ड, रांची/संयुक्त कृषि निदेशक, रांची/दुमका/हजारीबाग/उप कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, रांची/संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक माप एवं तौल, रांची एवं जिला स्तर के विभागीय संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 07/11/09

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 149/SC रांची/दिनांक : 07/11/09

प्रतिलिपि : संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 07/11/09

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 149/SC रांची/दिनांक : 07/11/09

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 07/11/09

सरकार के सचिव।

Dictation